''गन्ना शोध परिषद द्वारा संचालित योजनाए''

1– अभिजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम

(अ) कृषकों/संस्था का चयन

I. यू0पी0सी0एस0आर0 द्वारा गन्ना शोध केन्द्रों के फार्म।
II. उन्नतिशील/साक्षर/साधन सम्पन्न कृषकों का चयन किया जायेगा।
III. किसानों के खेतो का चयन शोध केन्द्रों के निकट ग्रामों में क्लस्टर(समूह) के रूप में किया जायेगा।

(ब) रख–रखाव/पर्यवेक्षण

I. अभिजनक बीज उत्पादन फील्ड पर बोर्ड लगेगा, जिसे गन्ना शोध परिषद/केन्द्र द्वारा स्थापित किया जायेगा।
II. वैज्ञानिकों की टीम द्वारा सतत निरीक्षण किया जायेगा।
III. कृषकों के प्रक्षेत्र पर अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन के बीज प्रमाणीकरण के लिए एक टीम गठित की जायेगी, जिसमें एक ब्रीडर, पैथोलोजिस्ट एवं इन्टोमोलोजिस्ट के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी रखे जायेगे। इस प्रकार पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अलग–अलग कुल तीन टीमें गठित की जायेगी । यदि वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होते हुए तो संविधा आधार पर वैज्ञानिक रखे जायेगे ताकि बीज गन्ना गुणवत्ता को मानके अनुरूप बनाये रखा जाय।
IV. सम्बन्धित मण्डल के उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा प्रतिमाह तथा गन्ना आयुक्त के स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।
V. अभिजनक बीज उत्पादक कृषकों की सूची गन्ना शोध परिषद तथा गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, गन्ना शोध परिषद का होगा।
VI. कुल अभिजनक बीज गन्ना क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत अभिजनक बीज गन्ना पौधशालायें शरदकाल एवं 75 प्रतिशत पौधशालायें बसन्तकाल में स्थापित की जायेंगी।
VII. पौधशाला धारकों को अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन की नवीन तकनीकी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार पौधशाला धारकों का उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर पर पौधशालाओं के रख–रखाव के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(स) अनुदान भुगतान प्रकिया

I. बीज प्रमाणीकरण उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के आवंटन अनुसार बीज वितरण पर 100 रू0 प्रति कुन्तल की दर से कृषक/संस्था को एकाउन्ट पेई चैक/एडवाइस के माध्यम से धनराशि देय होगी।
II. जनपद की औसत उपज के आधार पर देय अनुदान का 50 प्रतिशत पौधशाला की बुवाई के समय कृषि निवेश जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि हेतु दिया जायेगा शेष बीज वितरण होने पर देय होगा।